कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा

मो0 न0 :– 7091708244

अल्पकालिन पूनर्निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय)

पूर्व में निविदा संख्या–002594 (पशु) 2020–21 प्रकाशित की गई थी, परन्तु निविदादाता के भाग नहीं लेने के कारण निविदा असफल हो गई। अतः पुनः निविदा आमत्रित की जाती है।–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडो में सुखाड़ एवं बाढ़ (आपदा) के समय वित्तीय वर्ष 2020–21 में पशुओं के लिए सूखाचारा (गेहूँ भूसा, नेवारी कुटटी,चोकर,चुन्नी) क्रय के लिए दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदाएं आंमत्रित की जाती हैं। निविदा हेतु दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन की तिथि से दस दिन (10 दिन) अपराहन् 5 बजें दिन तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी एवं अगले दिन 3 बजे अपराह्न में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के बैठक में खोली जाएगी। जिसमे निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य हैं। उनकी अनुपस्थिति में निविदा समिति की निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगी। सूखा चारा का क्रय आवश्यकतानुसार जिला पशुपालन पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाएगी एवं इस मद में आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

निविदा के साथ रूपये 1000=00 (एक हजार मात्र) अग्रधन के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान या पोस्ट ऑफिस सेविंग पासबुक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपालित करा कर जमा करना अनिवार्य हैं।

निविदा दाता को सबंधित प्रखंडों तक पहुँचा कर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विंटल दर अंकित रहना अनिवार्य हैं। सुखाचारा का अलग–अलग दर अंकित करना होगा।

1. निविदाताओं को आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 100 ग्राम नमूना के रूप में जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में नाम, पता एवे मोबाईल नं0 निविदा के साथ जमा करना हैं।
2. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के आधार पर नही होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
3. आपूति आदेश निर्गत होने के एक दिन के अन्दर आपूर्ति नही देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
5. आपूर्ति आदेश के अनुसार चारा की आपूर्ति करने की सूचना तत्काल एक दिन पूर्व देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदाताओ को एक ही दर स्वीकृत हाने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी संवेदक को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदा समिति को बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. किसी भी प्रकार का वैद्यानिक मामला शेखपुरा जिला (बिहार) के क्षेत्राधीन होगा।
9. निविदासूचना के लिए वेबसाइट **www.ahd.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

13/7/20

जिला पशुपालन पदाधिकारी
शेखपरा।